राजस्थान सरकार

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाल परिहार, आर.ए.एस.

प्रकरण –राजस्व वाद संख्या – 66/2009

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| भंवरसिंह पुत्र श्री अणदाराम जाति पुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवाण तहसील जोधपुर जिला जोधपुर। | | 1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री प्रभूलाल<br>2. मोतीसिंह पुत्र श्री प्रभूलाल<br>3. अशोक पुत्र श्री प्रभूलाल<br>4. सायर कंवर पत्नि प्रभूलाल सभी जातियान पुरोहित निवासीगण गांव शूभदण्ड तहसील लूणी जिला जोधपुर।<br>5. तहसीलदार लूणी |

## वाद बाबत् घोषणा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

1. श्री मोतीसिंह, अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री एस.एन. राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

## निर्णय

दिनांक 03/03/2020

1. वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम नन्दवान पटवार क्षैत्र नन्दवान, भू अभिलेख निरीक्षक फीच, तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 81, रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन खड्डा खसरा नम्बर 82 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा दो रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा के सम्बन्ध में दिनांक 25.06.2008 को पेश किया वादी का कथन है कि वादी ने दिनांक 14.08.1981 को उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण से प्राप्त कर ली एवं बेचान पेटे चुकता प्रतिफल पेटे रूपये 700/– उसी रोज अदा कर दिया तब से वादी ही उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार है प्रतिवादीगण के पिता प्रभूसिंह ने गांव छोडकर शूभदण्ड में निवास कर लिया एवं वर्तमान में प्रतिवादीगण भी वही रहते है। प्रतिवादीगण के पिता प्रभूसिंह उर्फ प्रभूलाल द्वारा दिनांक 14.08.1981 को वादी के हक में भूमि सौंपने की लिखित कर दी, जिस समय लिखत की थी उस समय भूमि प्रभूलाल एवं अन्य भाईयों के सामलाती थीं एवं तत्कालीन काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बिना बंटवाडा करवाये बेचाननामा रजिस्टर्ड नहीं हो सकता था। इसलिए प्रभूसिंह ने अपने हिस्से की भूमि का कब्जा काश्त वादी को सुपुर्द कर दिया एवं चुकता प्रतिफल प्राप्त कर लिया सन् 1994 में प्रभूसिंह का देहान्त हो गया एवं फौतेदगी के समय म्यूटेशन प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर लिया। अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो जाने के कारण दखल करते

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

है एवं नाम के आधार पर अपना हक जताना चाहते है। वादी का लगभग तीस वर्षो से निरन्त एवं निर्बाध वादग्रस्त भूमि पर कब्जाकाश्त है एवं अब वह खातेदार का अधिकार पा चुका है जिसकी घोषणा करवाने के लिये वादी अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने योग्य हैं। वादी ने यह भी कथन किया कि उसे वादकारण दिनांक 30.05.2008 को प्राप्त हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को अवैध रूप से हस्तान्तरण करने की धमकी दी एवं बाद समझाईश भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। अन्त में वादी ने प्रार्थना की कि उसे घोषणात्मक डिक्री के जरिये खसरा संख्या 81 एवं 82 (तत्कालीन खसरा नम्बर 82 मिन/1) रकबा दो बीघा तीन बिस्वा में खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करें।

2. वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वाद के नोटिस तामिल कराये गये, बाद तामिल प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश किया जो जवाबदावा शायरकंवर, उम्मेदसिंह द्वारा पेश किया गया, प्रतिवादी ने किसी प्रकार के बेचान से इन्कार किया एवं कथन किया कि उनके पिता द्वारा कभी भी भूमि बेचान नहीं की गई व बेचाननामा कूटरचित है, प्रतिवादी ने यह भी कहा कि सौ रूपये से ज्यादा बेचाननामा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। प्रतिवादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है एवं प्रतिकूल कब्जे का अधिकार नहीं बनता है। अन्त में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया कि वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमावें।

3. वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा लिये गये उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :–

तनकी संख्या – 1 आया इकरारनामा दिनांक 14.08.1981 द्वारा रूपये 700/– में वादी ने प्रतिवादीगण के पिता प्रभूसिंह से वादग्रस्त जायदाद खरीद की। जिम्मे वादी

तनकी संख्या – 2 आया वर्ष 1981 के बाद निरन्तर आज दिन तक वादी का कब्जा व काश्त वादग्रस्त भूमि पर है। जिम्मे वादी

तनकी संख्या – 3 आया रजिस्टर्ड बेचाननामा नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरणकरण दर्ज हो गया। जिम्मे वादी

तनकी संख्या – 4 आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी की जा रही है। जिम्मे वादी

4. यह है कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में पीडब्ल्यू–1 वादी स्वयं उम्मेदसिंह, पीडब्ल्यू–2 हंसराज अधिवक्ता एवं पीडब्ल्यू–3 पूनाराम को साक्ष्य में पेश कर बयान कलमबद्ध करवाये एवं दस्तावेज वादग्रस्त जायदाद की जमाबन्दी, इकरारनामा दिनांक 14.08.1981, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवायें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी की तरफ से कई अवसर दिये जाने के बावजूद न तो साक्ष्य पेश की गई एवं न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाये।

5. यह है कि अन्ततः कई अवसर दिये जाने के बावजूद प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की गई एवं बहस पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात तनकीवार वाद का निर्णय निम्नानुसार है :-

तनकी संख्या – 1 आया इकरारनामा दिनांक 14.08.1981 द्वारा रूपये 700/– में वादी ने प्रतिवादीगण के पिता प्रभूसिंह से वादग्रस्त जायदाद खरीद की। जिसमे वादी तनकी संख्या – 3 आया रजिस्टर्ड बेचाननामा नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरणकरण दर्ज हो गया। जिसमे वादी उपरोक्त तनकियात एक दूसरे से सम्बन्धित है इसलिये इनका साथ ही निर्णय किया जा रहा है –

वादी ने अपने वादपत्र में दिनांक 14.08.1981 को प्रतिवादी के पिता द्वारा बैयनामा निष्पादित किये जाने का अभिवचन लेते हुये इकरारनामा प्रदर्शित करवाया है तथा इकरारनामा के अनुसार खसरा नम्बर 81 व 82 जो कुल 21 बीघा 3 बिस्वा है जिसमें प्रतिवादी के पिता का हिस्सा 2.03 बीघा होना बताया गया है जिसको बेचान किया गया है। इकरारनामा में यह भी लिखा है कि बेचानकर्ता का हिस्सा 2.03 बीघा ही जमीन है कानूनन उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती इसलिए रजिस्ट्री नहीं करवाई है तथा पूरी रकम प्राप्त कर ली है। जब भी कानूनन रजिस्ट्री हो सकेगी साथ चलकर रजिस्ट्री करवा दूंगा उपरोक्त तथ्य बैयनामें में वर्णित है। वादी पीडब्ल्यू 1 भंवर सिंह ने अपने साक्ष्य में भी यह कहा है कि उसने चुकता रकम प्राप्त करके भूमि का बैचाननामा लिया है बैचाननामा को लिखने वाले अधिवक्ता हंसराज को पीडब्ल्यू – 2 के रूप में परिक्षित करवाया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब तो अवश्य पेश किया गया परन्तु जवाब के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की गई है इस प्रकार से वादी की साक्ष्य एवं अभिवचन इस तनकी के सम्बन्ध में बखूबी साबित है तथा वादी की साक्ष्य भी अखण्डित है। प्रतिवादी के पिता के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में पीडब्ल्यू – 2 अधिवक्ता हंसराज ने भी यह स्पष्ट कथन किये है कि प्रभूसिंह के कहने पर लिखापढी करवाई थी स्टाम्प खरीद करने के बाद प्रभूसिंह ने लिखत पर हस्ताक्षर किये जो उसके सामने किये थे एवं बेचान राशि की भरपाई दी गई थी, विक्रेता प्रभूसिंह द्वारा इकरार को नोटेरी पब्लिक श्री रामराज भण्डारी के समक्ष तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया था जिसको प्रभूसिंह के कहने से तस्दीक किया गया एवं इस गवाह ने अपनी पहचान भी दर्ज की। दौराने विचारण प्रतिवादी द्वारा दस्तावेज दिनांक 14.08.1981 के साक्ष्य में ग्राहय नहीं होने के सम्बन्ध में आक्षेप प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय इस न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान किया जा चुका है तथा दस्तावेज को सम्पार्श्विक प्रयोजन के लिये साक्ष्य में ग्राहय माना है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादीगण ने कोई चाराजोही नहीं की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

जिससे आदेश अन्तिम हो गया है। इस प्रकार से प्रतिवादी के पिता द्वारा बैयनामा लिखने की साक्ष्य पत्रावली पर बखूबी सावित है इसलिये तनकी संख्या – 1 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या – 2 आया वर्ष 1981 के बाद निरन्तर आज दिन तक वादी का कब्जा व काश्त वादग्रस्त भूमि पर है। जिम्मे वादी

तनकी संख्या – 4 आया प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी की जा रही है। जिम्मे वादी

उपरोक्त दोनों तनकियात कब्जे काश्त के सम्बन्ध में होने के कारण एक दूसरे से सम्बन्धित है इसलिये साथ ही निर्णित की जा रही है –

वादी ने अपने वाद पत्र में यह अभिवचन लिया है कि दिनांक 14.08.1981 से वह वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा प्रतिवादी के पिता द्वारा भूमि का बेचान किये जाने के पश्चात प्रतिवादी स्थायी रूप से गांव छोडकर शूभदण्ड गांव चले गये एवं वही पर रहते हैं वादी ने यह भी अभिवचन लिया है कि बैयनामें के रोज से वादग्रस्त भूमि पर वादी का शांतिपूर्वक निरन्तर व निर्बाध कब्जाकाश्त है एवं इस तथ्य की जानकारी प्रतिवादीगण को अच्छी तरह से है, वादी तीस वर्षो से निरन्तर वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है इसलिये प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा के आधार पर भी वह खातेदार की हैसियत प्राप्त कर चुका है।

वादी ने अपने अभिवचन के समर्थन में जो साक्ष्य पेश किये है उसके अनुसार बैयनामा दिनांक 14.08.1981 में प्रतिवादी के पिता स्वयं ने भूमि का कब्जा सुपुर्द करना प्रकट किया है वादी स्वयं एवं गवाह पीडब्ल्यू–3 पूनाराम ने इस बात की साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.08.1981 के पश्चात कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है। गवाह पीडब्ल्यू–3 पूनाराम ने भी यह बयान दिया है कि भंवरसिंह ही इस जमीन पर खेती कर रहा है एवं उम्मेदसिंह वगैराह का कब्जा उसने कभी नहीं देखा है। भंवरसिंह एवं उसका खेत पास–पास में आये हुये हैं। वादी एवं उसके गवाहान द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त साक्ष्य अखण्डित है एवं प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य वादी के विरूद्ध पेश नहीं की गई है इसलिये वादी की उक्त साक्ष्य नहीं माने जाने का कोई कारण नहीं है इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी जारी किया गया था जिसके विरूद्ध भी प्रतिवादीगण ने कोई चाराजोही नहीं की, इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि वादी बैचाननामा में के रोज से निरन्तर वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त हैं एवं खेती कर रहा है चूंकि वादी को उक्त भूमि प्रतिवादी के पिता द्वारा बएवज प्रतिफल के सुपुर्द की गई है इसलिये यह तथ्य भी बखूबी साबित है कि वादी का कब्जाकाश्त सन् 1981 से ही प्रतिवादीगण की जानकारी में हैं इस प्रकार से वादी लगभग 38 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त प्रतिवादी की जानकारी के साथ में है इसलिये यह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

साबित होता है कि वादी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा के अनुसार भी वादी खातेदार की हैसियत प्राप्त कर चुका है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिये भी वादी का क्लेम अखण्डित है। उक्त विवेचन अनुसार तनकी संख्या – 2 एवं 4 भी वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध की जाती हैं।

इस प्रकार से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, तद्दानुसार वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिकी किया जाता है एवं यह घोषणा कि जाती है कि वादी ग्राम नन्दवान पटवार क्षैत्र नन्दवान, भू अभिलेख निरीक्षक फीच, तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 81, रकबा 15 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन खड्डा खसरा नम्बर 82 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा दो रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार काश्तकार हैं एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के अधिकारों में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें, भूमि अंतरित नहीं करें उस पर कब्जा नहीं करें, तहसीलदार लूणी को आदेश किया जाता है कि डिकी की पालना में ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 81 व 82 कुल रकबा 2.03 बीघा के रेकर्ड में बतौर खातेदार वादी का नाम अमलदरामद करें।

अतः उक्त अनुसार वादी का वाद डिकी किया जाता है। डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी लूणी

यह निर्णय आज दिनांक 03/03/2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

# डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

## अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 66/2009

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| भंवरसिंह पुत्र श्री अणदाराम जाति पुरोहित, निवासी ग्राम नन्दवाण तहसील जोधपुर जिला जोधपुर। | | 1. उम्मेदसिंह पुत्र श्री प्रभूलाल<br>2. मोतीसिंह पुत्र श्री प्रभूलाल<br>3. अशोक पुत्र श्री प्रभूलाल<br>4. सायर कंवर पत्नि प्रभूलाल सभी जातियान पुरोहित निवासीगण गांव शूभदण्ड तहसील लूणी जिला जोधपुर।<br>5. तहसीलदार लूणी |

दावा वास्ते बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 66/2009 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संहखातेदारी भूमि ग्राम नन्दवान, पटवार मण्डल नन्दवान के ख.न. 81 रकबा 0.15 बीघा व 82 रकबा 1.08 बीघा कुल रकबा 2.03 बीघा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण जारी की जाती हैं कि वादी के उपरोक्त खसरान् के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें एवं न किसी से करावें। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करे।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 03/03/2020 को जारी की गई।

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

| मुद्धाई | रूपया | पै. | मुद्धायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | | | स्टाम्प अरजी दावा | | |
| स्टाम्प | | | स्टाम्प | | |
| वकालतनामा | | | वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महनताना वकील | | | महनताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner